Received - 06-06-2020

उप विकास आयुक्त का कार्यालय, गिरिडीह।

(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)
Phone No.- 06532-222572, Email ID- (drdagiridih@yahoo.co.in)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन गिरिडीह जिलान्तर्गत भंडारीडीह कलस्टर (कुल नौ पंचायत) में सोलर स्ट्रीट लाईट, एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्ट स्ट्रीट लाईट का क्रय (अधिष्ठापन सहित) किया जाना है, इच्छुक व्यक्ति/फर्म अपनी निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं:–

1. विज्ञापनदाता का नाम :– उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह।
2. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :– 24.06.2020 को 2:00 बजे अपराह्न तक।
3. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान :– दिनांक 24.06.2020 को 3:00 बजे अपराह्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह
4. कार्य की विवरणी :–

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	अनुमानित संख्या	सुरक्षित जमा राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Solar Street light- 15W ➢ PV-Indigenous, Cristalline Silicon Terrestrial PV Module equivalent BIS std 12V 75W, ➢ Battery Minimum 12.8 V, 30 Ah Capacity, ➢ light source- 12 Watt, W-LED luminaire, ➢ light output-minimum 24 Lux in measure, ➢ Mounting of light- pole 5m above & 1m below the ground, ➢ Autonomy- 3 days or minimum 36 operating hours, ➢ LED- IEC 62384, (Full fitted with installation)	300 अदद	1,50,000.00	02 माह
2	High Mast Street light- 8 Pcs. 150 watt flood light 9 mtrs high mast pole (Full fitted with installation)	09 अदद	50,000.00	02 माह
3	LED Street light (72 w) (Full fitted with installation)	997 अदद	1,00,000.00	02 माह

With integrated warranty of minimum 5 years (for all items)

नोटः– निविदा की शर्तें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह के सूचना पट्ट अथवा गिरिडीह जिला के वेबसाइट www.giridihnic.in पर देखी जा सकती है।

3/6/20

उप विकास आयुक्त,
गिरिडीह।

E:\DRDA (P)\WORD\GAJENDRA JEE\NEW FOLDER 2020\RURBAN\RURBAN TENDER - 03.06.20 (2).DOC

Solar Street/High Mast light/LED Street light क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु शर्तें :-

1. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में भर कर दोनों लिफाफे को एक बड़े सीलबंद लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। निविदादाता तकनीकी लिफाफा में अपनी तकनीकी क्षमता/योग्यता से संबंधित सभी आवश्यक कागजात एवं सुरक्षित राशि का दस्तावेज डालेंगे। जिन निविदादाता की तकनीकी कोटेशन सफल होगी, उन्हीं की वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
2. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा Technical Bid में निम्न कागजात को संलग्न करना अनिवार्य होगा:-
   i. पैन कार्ड की छाया प्रति।
   ii. आधार कार्ड की छाया प्रति। फर्म के लिये- मालिक/सभी पार्टनरों का
   iii. अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र। (AY 16-17, 17-18, 18-19)
   iv. GST निबंधन प्रमाण पत्र तथा फरवरी-2020 माह का रिटर्न (GSTR-3B/GSTR-4) की प्रति।
   v. गत तीन वर्षों (AY 16-17, 17-18, 18-19) का Audit Report.
   vi. Solar Energized Street light system के अधिकृत बिक्रेता/निर्माता होने का प्रमाण पत्र।
   vii. फर्म/प्रतिष्ठान का काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
   viii. उपरोक्त अंकित योजनावार सुरक्षित जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/सावधि जमा जो उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के पदनाम से प्रतिज्ञापित होगा।
3. आपूर्तिकर्त्ता को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
4. सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्यादेश के 15 दिनों के अन्दर चिन्हित स्थानों पर करना होगा। निर्धारित समय तक कार्य नहीं करने पर सुरक्षित राशि जब्त करते हुए कार्य दूसरे न्यूनत्तम दर के निविदादाता के नाम आवंटित कर दिया जायेगा और उन्हें डिबार करने हेतु काली सूची के लिये अनुशंसा किया जायेगा।
5. सामग्री की संख्या घट-बढ़ सकती है।
6. सफलतम निविदादाता को आपूर्ति की गयी सामग्री का कम से कम 5 वर्षों तक रख रखाव की गारण्टी देनी होगी। अधिक अवधि की गारण्टी देने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. झारखण्ड राज्य के बिक्रेता को प्राथमिकता दी जायेगी, उपलब्ध नहीं रहने पर अन्य राज्य के बिक्रेता से क्रय किया जायेगा।
8. कोई विवाद होने पर गिरिडीह न्यायालय में ही वाद का निपटारा किया जायेगा।
9. सशर्त, अस्पष्ट, अपठ्नीय एवं भ्रामक निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
10. आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा जमा की गई सुरक्षित राशि को रख रखाव के अवधि बीत जाने के उपरांत वापस किया जायेगा।
11. आपूर्ति की गई सामग्री को ससमय ठीक करने की जवाबदेही आपूर्तिकर्त्ता की होगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/संबंधित मुखिया से इस संबंध में सूचना देने पर तीन दिनों के अन्दर इसे ठीक कराना अनिवार्य होगा।
12. सामग्रियों का दर सभी कर सहित होगा।
13. विपत्र से 10 प्रतिशत जमानत के रूप में राशि की कटौती की जायेगी। सुरक्षित जमा राशि एवं जमानत के रूप में काटी गई राशि 5 वर्ष बाद इस आशय पर विमुक्त किया जायेगा कि अधिष्ठापित सभी उपकरण सही ढंग से कार्य कर रहा है।
14. किसी भी निविदा को अंशतः अथवा पूर्णतः रद्द किये जाने एवं मात्रा में परिवर्त्तन किये जाने का अधिकार तथा बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अथवा निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

15. आपूर्ति की गयी सामग्री का भुगतान सक्षम पदाधिकारी के द्वारा जॉच एवं सत्यापन के पश्चात् ही किया जायेगा।

उप विकास आयुक्त,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 949 / अभि0, गिरिडीह दिनांक 03.06.2020

प्रतिलिपिः– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यालय ज्ञापांक–919 / अभि0 दिनांक 30.05.2020 द्वारा निर्गत निविदा आदेश को वेबसाईट से हटाते हुए उपरोक्त सूचना गिरिडीह जिला के वेबसाईट www.giridihnic.in में Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक / निदेशक, डी0आर0डी0ए0 / जिला अभियंता / कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उप विकास आयुक्त,
गिरिडीह।